न्यायकि कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमगि

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायकि पारदर्शता को बढ़ावा देने के लयि संवैधानकि महत्त्व वाले मामलों में की जाने वाली न्यायकि कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमगि को अनुमतदि दी है।

न्यायलय द्वारा जारी दशा-नरि्देश

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 'व्यापक और समग्र दशिानरि्देश' तैयार करने का नरि्देश देने के साथ ही न्यायालयों में इस प्रक्रयिा को पायलट आधार पर शुरू करने का नरि्देश भी दयिा है।
- यह परयिोजना कई चरणों लागू की जाएगी।
- यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कअियोध्या तथा SC/ST आरक्षण जैसे मामलों की लाइव स्ट्रीमगि नहीं की जाएगी।
- चूँक'िन्यायालय की खुली सुनवाई' के संबंध में संवधािन में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, ऐसे में दंड प्रक्रयिा संहति, 1973 (Code of Criminal Procedure- CrPC) की धारा 327 और सविलि प्रक्रयिा संहति 1908 (Code of Civil Procedure- CPC) की धारा 153ख के प्रावधानों का अनुसरण कयिा जा सकता है।

दंड प्रक्रयिा संहति, 1973 की धारा 327

- दंड प्रक्रयिा संहति, 1973 की धारा 327 के अनुसार वह स्थान जहाँ कोई दंड न्यायालय कसिी अपराध की जाँच या वचिारण के प्रयोजन से बैठता है उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा जसिमें जनता साधारणतः वहाँ तक प्रवेश कर सकेगी जहाँ तक कविह सुवधिापूर्वक उसमें समा सके।
- लेकनि, यदपिीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह कसिी वशिष्टि मामले की जाँच या वचिारण के कसिी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा उक्त प्रक्रयिा के दौरान इस्तेमाल कयि गए कमरे या भवन तक जनता अथवा कसिी वशिष्टि व्यक्तकिो न पहुँचने दयिा जाए।

सविलि प्रक्रयिा संहति, 1908 की धारा 153ख

- सविलि प्रक्रयिा संहति, 1908 की धारा 153ख के अनुसार, वह स्थान जहाँ कसिी वाद के वचिरण के प्रयोजन के लयि कोई सविलि न्यायालय लगता है तो उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा और उसमें जनता की साधारणतः वहाँ तक पहुँच होगी जहाँ तक वह इसमें सुवधिापूर्वक समा सके।
- लेकनि, यदपिीठासीन न्यायाधीश ठीक समझे तो वह कसिी वशिष्टि मामले की जाँच या वचिरण के कसिी भी प्रक्रम पर यह आदेश दे सकता है कि न्यायालय द्वारा प्रयुक्त कमरे या भवन तक जनता या कसिी वशिष्टि व्यक्तकिी पहुँच नहीं होगी या वह उसमें नहीं आएगा या वह वहाँ नहीं रहेगा।

सरकार का पक्ष

- राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों में न्यायकि कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमगि के लयि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन तैयार कर न्यायालय] में दाखलि करने के नरि्देश जारी कयि थे। अटार्नी जनरल द्वारा वसि्तृत गाइडलाइन दाखलि करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षति रख लयिा था।
- अटॉर्नी जनरल द्वारा दाखलि गाइडलाइन के अनुसार, पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर लाइव स्ट्रीमगि की प्रक्रयिा मुख्य न्यायाधीश के न्यायलय से शुरू होनी चाहयि और सफल होने पर इसे दूसरे न्यायालयों में लागू कयिा जा सकता है।
- इसमें संवैधानकि मुद्दों को भी शामलि कयिा जाना चाहयि। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दयिा जाना चाहयि कवैवाहकि ववािद, नाबालगिों से जुडे मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायकि सौहार्द से जुडे मामलों की लाइव स्ट्रीमगि न हो।
- अटॉर्नी जनरल ने यह सुझाव भी दयिा ककोिर्टरूम की भीड़-भाड़ को कम करने के लयि वादयिों, पत्रकार, इंटर्न और वकीलों के लयि एक मीडयिा रूम बनाया जा सकता है।
- अटार्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने यह सफिारशि भी की थी कयिदसिर्वोच्च न्यायालय चाहे तो सरकार, लोकसभा या राज्यसभा की तरह ही अलग सर्वोच्च न्यायालयचैनल की व्यवस्था कर सकती है।

इंदरिा जयसहि ने दाखलि की थी याचकिा

- सर्वोच्च न्यायालयमें वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने PIL दाखिल कर यह अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय महत्त्व और संवैधानिक महत्त्व के मामलों की पहचान कर उन मामलों की रिकॉर्डिंग की जानी चाहिये और उनका सीधा प्रसारण भी किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

- यह प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के साथ ही ‘दंड प्रक्रिया संहिता’ और ‘सिविल प्रक्रिया संहिता’ में जवाबदेहिता के लिये एक साधन के रूप में कार्य करेगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-approves-live-streaming-of-court-proceedings